रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

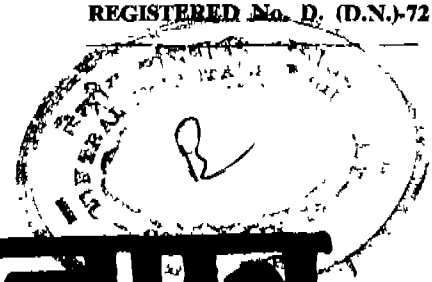

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 297] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 1983/श्रावण 20, 1905
No. 297] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 1983/SRAVANA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1983

सा० का० नि० 623(अ). —केन्द्रीय सरकार भारतीय अधिनियम, 1908 (1908 का 5) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ङङङ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 तारीख 29 जनवरी, 1955 में पृष्ठ 243 पर प्रकाशित भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि० आ० 273 तारीख 8 जनवरी, 1955 को अधिक्रत करते हुए उन जलयानों का जो मुम्बई पत्तन की सीमाओं के भीतर चलते है और स्वनोंदित नहीं है निरीक्षण सर्वेक्षण और विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (2) में अपेक्षित है प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमो के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगें केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेंगी ।

प्रारूप नियम

उन जलयानों का जो मुम्बई प्रत्तन की सीमाओ के भीतर चलते है और स्वनोंदित नहीं हैं, निरीक्षण सर्वेक्षण और विनियमन करने के लिए नियम ।

1. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं "जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो यांत्रिक नोदन साधनों से युक्त नहीं है और जो मुम्बई पत्तन की सीमाओं के भीतर यात्रियों, नौभार या दोनों को ले जाने के लिए लगाया गया है ।

1 क कोई भी जलयान जो स्वनोंदित नहीं है, मुम्बई पत्तन की सीमाओं के भीतर सामान्यतः या आकस्मिकतः

(क) वाणिज्य के उतारने और पोत परिवहन,

(ख) जलयानों के पलक पर स्थोरा कार्य के लिए सद्भावपूर्व मजदूरों को लाने और ले जाने या

(ग) कोई अन्य वाणिज्य क्रियाकलाप के लिए इन नियमों के अधीन बनाए गए अन्य समरूप

नियमों और किसी अन्य भारतीय पत्तन पर प्रवृत्त नियमों के अधीन उस समय प्रवृत्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र के बिना नहीं चलाया जाएगा।

2. जलयानों के निरीक्षण से संबंधित सभी पत्राचार निम्न प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए।

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
मुम्बई पत्तन न्यास
निर्माण भवन
मजगांव मुम्बई-400010.

3. इन नियमों के अधीन किसी निरीक्षण प्रमाण-पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन प्रभार्य निरीक्षण शुल्क सहित इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप एस-1 में किया जाएगा ।

		मुम्बई बंदरगाह में तटीय जलयानों और विदेश जाने वाले जलयानों तक उनसे परिसंकटमय/अपरिसंकटमय धारा के वहन में न लगे हुए ।	मुम्बई बंदरगाह में तटीय जलयानों और विदेश जाने वाले जलयानों तक और उनसे परिसंकटमय/अपरिसंकटमय धारा के वहन में लगे हुए
		रु०	रु०
श्रेणी-1	पड़ाव और अन्य समरूप चलत जलयान को सामान्यत: अपने पाल से चलते हैं-50 टन रजिस्टर से अनधिक प्रत्येक अतिरिक्त 25 टन रजिस्टर या 25 टन रजिस्टर किसी भाग के लिए	40	120
		20	40
श्रेणी-2	काष्ठ और मिश्रित बजरे (स्पष्टीकरण-मिश्रित बजरे वे बजरे हैं जिनके हुल काष्ठ के और जिनकी दीवालें, डेक तथा अन्य भाग भागत: या पूर्णत: कोष्ठ या इस्पाति के है) 50 टन रजिस्टर अनधिक-प्रत्येक अतिरिक्त 50 टन रजिस्टर या 50 टन के किसी भाग के लिए	60	180
		40	120
श्रेणी-3	इस्पात बजरे पाण्टून और अन्य समरूप जलयान 100 टन रजिस्टर से अनधिक-प्रत्येक अतिरिक्त 50 टन या 50 टन के भाग के लिए—	100	300
		40	120

नियम 33,34 और 35 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त और अतिकाल शुल्क उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार संदेय होगा ।

प्रारूप एस० 3 में प्राप्त मुख्य यांत्रिक इंजीनियर मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मुख्य यांत्रिक इंजीनियर" कहा गया है) प्राप्त सभी संदायों के लिए शासकीय रसीद प्रारूप एस० 3 में जारी की जाएगी ।

4. (1) इन नियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक निरीक्षण प्रमाण पत्र सूखे डाक या धरती पर किए गए जलयान के निरीक्षण की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इसका इन नियमों के उपबंधों के अधीन पूर्वतर प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है ।

(2) यदि जलयान के हुल और उपस्कर ठीक दशा में पाए जांए तो निरीक्षण प्रमाण-पत्र की अवधि प्ररूप एस 1 में निमित्त किए गए आवेदन पर जिसके साथ नियम 3 में निर्दिष्ट शुल्क का आधा दिया जाएगा एक मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के लिए नियम 32 में यथा उपबंधित शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।

(3) यदि मूल प्रमाण-पत्र इसकी चालू अवधि के दौरान खो जाता है तो मूल प्रमाण पत्र के धारक को 10 रु० के शुल्क का संदाय करने पर उसकी दूसरी प्रति दी जाएगी और तत्पश्चात् ऐसी दूसरी प्रति इन नियमों के अधीन ऐसी शेष अवधि के लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र के रूप में विधिमान्य होगी ।

5. किसी जलयान की बाबत कोई भी निरीक्षण प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे जलयान का मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मुम्बई पत्तन के निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं कर लिया गया है । पेट्रोलियम उत्पादों रसायनों और अन्य समरूप उत्पादों को ले जाने में लगे जलयानों के निरीक्षण पत्तन न्यास निरीक्षकों द्वारा तब ही किया जाएगा जब स्वामी/अभिकर्ता भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक से इस प्रभाव का एक प्रमाण-पत्र कि जलयान किसी सूखे डाक में प्रवेश के लिए सुरक्षित है प्राप्त कर लेते और उसे प्रस्तुत करते है । मरम्मत यदि कोई स्वामी/ अभिकर्ता द्वारा भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक से तप्त कर्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भ की जाएगी ।

6. इस प्रकार नियुक्त निरीक्षक,

(क) जलयान की समुद्रयात्रा योग्यता के बारे में निरीक्षण करेगा,

(ख) उसके उपस्करों, नौपरिवहन प्रकाश और पदों का निरीक्षण करेगा,

(ग) ले जाए जाने वाले निश्चल स्थौरा का लगभग परिमाण और मजदूरों की संख्या अवधारित करेगा,

(घ) सभी स्थौरा जलयानों पर ठीक और खराब मौसमों के लिए भार रेखा डिस्क पर चिह्न लगाएगा, और

(ङ) उपाबद्ध 'क' की अपेक्षानुसार कर्मविल के सदस्यों की संख्या अवधारित करेगा ।

7. यदि कोई निरीक्षक किसी जलयान के हल या उपस्कर में कोई खराबी पाता है तो वह ऐसे जलयान के संबंध में कोई निरीक्षण प्रमाण पत्र देने से इंकार से पूर्व जलयान के स्वामी को ऐसी खराबी बताते हुए और की जाने वाली मरम्मत या अन्य कार्रवाई जो ऐसी खराबी को दूर करने के लिए आवश्यक हो, बताते हुए एक पत्र भेजेगा ।

8. मरम्मत पूरी होने के पश्चात् (इस्पात बजरी की बाबत) ड्रिल किए गए परीक्षण छिद्र को उपदर्शित करते हुए आवरण विस्तारण योजना और की गई अपेक्षित मरम्मत या की गई अन्य कार्रवाई के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा । निरीक्षक मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के अनुमोदन से एक या एक से अधिक अतिरिक्त निरीक्षक कर सकेगा और निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा या जारी करने से इंकार कर सकेगा । वह उपयुक्त समझे ।

9. किसी जलयान द्वारा ले जाए जाने वाले स्थोरा का लगभग निश्चल भार और मजदूरी की संख्या तथा ठीक और खराब मौसम के लिए शीर्षान्तर का भी अवधारण करने के पश्चात् निरीक्षक उस स्थिति का जहां पर जलयान की दोनों ओर भार रेखा डिस्कों पर चिह्न लगाया जाना है, । उपदर्शित करेगा । डिस्कों ऐसी होगी जैसे नीचे चित्र में दर्शित की गई है । डिस्क के केन्द्र में से गुजरने वाली रेखा का ऊपरी किनारा जलयान की उस अधिकतम गहराई को दर्शित करेगा जहां तक जलयान की उस अधिकतम गहराई को दर्शित करेगा जहां तक जलयान को ठीक मौसम में लादा जा सकता है । और निचली रेखा का ऊपरी किनारा उस अधिकतम गहराई को दर्शित करेगा जहां तक जलयान को खराब मौसम में लादा जा सकता है । भार रेखा चिह्न के ब्यौरे नीचे चित्र में दिए गए हैं ।

10. किसी निरीक्षण प्रमाण-पत्र के मंजूरी किए जाने से पूर्व जलयान पर 200 मि०मी० × 150 मि०मी० लम्बे माप के शासकीय संख्यांक प्रत्येक क्वार्टर पर खाली पृष्ठ भूमि पर सफेद या सफेद पृष्ठ भूमि पर काले उत्कीर्षित/ चैल्डित या पेंट किए हुए होंगे ।

11. किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त जलयान का स्वामी, या उसका अभिकर्ता या टिन्डल इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय मात्रा या संख्या से अधिक मात्रा में स्थोरा ऐसे जलयान में ले जाने के लिए किसी भी समय अनुज्ञप्ति नहीं करेगा और वह, जब तक कि उचित और खराब मौसम के लिए प्रमाण पत्र में कथित कर्मदल की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था न हो, ऐसे जलयान का चलाना भी अनुज्ञात नहीं करेगा ।

12. जब कभी मुख्य यांत्रिक इंजीनियर या निरीक्षक की राय में ऐसा जलयान स्थोरा या मजदूरों के वाहन के अयोग्य है या जब किसी निरीक्षण प्रमाण-पत्र की शर्तों या पत्तन निगमों का स्वामी या उसके अभिकर्ता या जलयान के टिंडल द्वारा उल्लंघन किया गया है तो किसी जलयान के लिए दिए गए प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा ।

13. प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त जलयान के बोर्ड पर जब चल रहा है, उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एक प्रति और निरीक्षण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति होगी और जब कभी पत्तन प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षा की जाए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

14. अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक जलयान जब वह चल रहा हो तब उसके बोर्ड पर उसके हल की संरचना के साथ नारियल जूट की रस्सी से जो कम से कम पंद्रह फेदम लंबी होगी, तैरने वाला बोयो मजबूती से बंधा होगा जिस पर शासकीय संख्या और रजिस्ट्री पत्तन पेंट किया हुआ होगा जिससे कि यदि जलयान डूब जाए तो बोयो साफ तैरता रहे और स्थिति बताता रहे ।

15. प्रत्येक जलयान पर जीवन बोया होगी जिन पर जलयान की शासकीय संख्या और रजिस्ट्री पत्तन नाम पेंट किया हुआ होगा । फ्लक पर के प्रत्येक दो व्यक्तियों के लिए एक जीवन बोया की व्यवस्था होनी चाहिए ।

16. प्रत्येक जलयान में, एक पीतल की घंटी की, जिसका व्यास 150 मि०मी० का होगा, व्यवस्था होगी ।

17. प्रत्येक जलयान में, हैंडबिल्ज पंपों की उतनी संख्या में जो निरीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाए, व्यवस्था होगी।

18. पोत के किनारे पर या जलरोधी दीवालों पर होल्डों, होलड उत्थलाती टेंकों या आगे और पीछे के सिरों तक जाने वालों के लिए कोई खुला स्थान रखना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

19. (i) किसी ऐसी दुर्घटना की दशा में जिसमें कोई ऐसा तात्विक नुकसान हुआ है जिससे जलयान की समुद्र यात्रा योग्यता या दक्षता पर प्रभाव पड़ा है, उस भाव की एक रिपोर्ट जलयान के, स्वामी अभिकर्ता या भार साधक टिंडल द्वारा मुख्य यांत्रिक इंजिनियर को यथा संभव शीघ्र जलयान के पुनः निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्ररूप एस 1 में एक आवेदन सहित भेजी जाएगी ।

(ii) ऐसे कार्य के लिए शुल्क नियम 32 में उपबंधित रूप में सदेय होगा । (iii) निरीक्षण रिपोर्ट को आधार मानते हुए, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, या तो निरीक्षक प्रमाण-पत्र की शेष विधिमान्य अवधि के संपूर्ण या उसके भाग के लिए जलयान को चलाते रहने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या संपूर्ण निरीक्षण करवाने के लिए जलयान को रोकने का आदेश कर सकेगा । यदि ऐसे निरीक्षण के पश्चात् जलयान को चलाते रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो उस भाव का एक पृष्ठांकन निरीक्षण प्रमाण-पत्र पर किया जाएगा ।

20. निरीक्षण प्रमाण-पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप एस 2 में होगा और उसकी समाप्ति पर उसका वार्षिक पुनः नवीकरण हो सकेगा ।

21. इन नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अवधियां अच्छा और खराब मौसम उपदर्शित करेंगी :

22. 1 दिसंबर से 20 मई (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित है) और 16 सितम्बर से 15 अक्तूबर (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित है) अच्छा मौसम 21 मई से 15 सितंबर (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित है) और 16 अक्तूबर से 30 नवंबर (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) खराब मौसम

22. जलयान द्वारा मीटरिक टनों में निश्चित भार ले जाने की क्षमता निम्नलिखित रीति से मापी जाएगी ।

$$\frac{\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{अंतर} \times \text{गुणनखंड}}{1.025}$$

लम्बाई = मीटरों में लंबाई

चौड़ाई = मीटरों में चौड़ाई

अंतर = जलयान के लाइट ड्राफ्ट चिह्न और शीर्षांतर चिह्न के बीच मीटरों में अंतर, गुणनखंड जैसा नियम 33 में परिभाषित है ।

23. बजरों के लिए गुणनखंड 0.8 और पाडवों के लिए 0.7 या कोई ऐसा अन्य गुणनखंड होगा जो निरीक्षक द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

24. निम्नलिखित गुणांक जब जलयान की मोल्ड की गई गहराई को लागू किया जाएगा तो शीर्षांतर निकल जाएगा :—

पाडव मोल्ड की गई गहराई के

प्रत्येक मीटर के लिए किनारे का 300 मि०मी० लकड़ी के जलयान मोल्ड की गई गहराई के प्रत्येक मीटर के लिए किनारे का 215 मि०मी० इस्पात जलयान मोल्ड की गई गहराई के प्रत्येक मीटर के लिए किनारे का 250 मि०मी० इसमें अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे गुणांक को लागू करने के निरीक्षक के विवेक को सीमित नहीं करेगी ।

25. सभी जलयान जो अच्छे मौसम के लिए केन्द्र रेखा डिस्क द्वारा अनुज्ञात साफ किनारे का 75 मि०मी० और खराब मौसम के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए ।

26. कार्यकरण स्थोरा के लिए मजदूरों को ले जाते समय स्थान निम्न प्रकार से अनुज्ञात किया जाएगा :—

15 टन रजिस्टर तक या नाले जलयानों में प्रति व्यक्ति 0.4 वर्ग मी०

15 टन से ऊपर और 30 टन रजिस्टर तक जलयानों में प्रति व्यक्ति 0.3 वर्ग मीटर

30 टन रजिस्टर से ऊपर वाले सभी जलयानों मे प्रति व्यक्ति 0·35 वर्ग मी० डेक वाले जलयानों की दशा में केवल डेक का क्षेत्र ही मजदूरों को ले जाने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

27. निरीक्षक को विशेष मामलो में, भार रेखा डिस्क की स्थिति वास्तव में नियत करने के लिए वैवेकिक शक्तियां होंगी परन्तु यह कि अनुज्ञात किया गया शीर्षांतर उससे कम नहीं होगा जो नियमों द्वारा कि अनुज्ञात है और कि स्वामी को भारत सरकार के वाणिज्यिक विभाग, के प्रधान अधिकारी की अपील करने का अधिकार होगा ।

28. सरकारी सर्वेक्षक के पर्यवेक्षणाधीन और मान्यताप्राप्त वर्गीकरण सोसायटियों के नियमानुसार माप वाले बनाए गए जलयानों में शीर्षांतर, यदि स्वामी ऐसा चाहे तो इस प्रकार अवधारित किया जाएगा मानों वे जलयान समुद्रगामी जलयान हों।

टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजन के लिए 'सरकारी सर्वेक्षण' से वाणिज्यक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 9 मे निर्दिष्ट सर्वेक्षक अभिप्रेत है ।

29. निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन सप्ताह दिवसों को 10.30 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे अपराह्न के बीच तथा शनिवार को (छुट्टी को छोड़कर) 10.30 बजे पूर्वाह्न और 1.00 अपराह्न के बीच, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप एस 1 में किया जाएगा और उपर्युक्त नियम 3 और 4 के अधीन संदेय शुल्क सहित उस तारीख से जिसको निरीक्षण होने की वांछा की गई है कम से कम पूरे तीन दिन पूर्व मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के कार्यालय में दिया जाएगा, परन्तु यह कि मुख्यात्रिक इंजीनियर, किसी विशिष्ट मामले में, अपने कार्यालय में किसी आवेदन को, उस तारीख से जिसको निरीक्षण कराने की वांछा की गई है पूरे तीन दिन से कम की अवधि के पूर्व स्वीकार कर सकेगा ।

30. आवेदन प्राप्त होने पर वह स्थान तारीख और समय जिस पर निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा, निरीक्षण द्वारा नियत किए जाएंगे ।

31. नियम 3 या नियम 4 के अधीन संदेय शुल्क के अंतर्गत निरीक्षक का उतनी बार आने की संख्या जितनी की प्रमाण-पत्र मंजूर करने से पूर्व निरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

32. जब कोई निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो तब यदि आगे कोई निरीक्षण आवश्यक है तो सामान्य शुल्क का आधे के समतुल्य शुल्क संदेय होगा ।

33. नियम 3 और नियम 4 के अधीन शुल्क के अतिरिक्त, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को आवेदन करते समय किसी रविवार या अवकाश दिनों को किए जाने वाले प्रत्येक निरीक्षण के लिए 0.50 रु० की और शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।

34. सप्ताह के दिनों में पूर्वतः या भागतः 5.00 बजे अपराह्न और 8.00 बजे पूर्वाह्न के घटों में तथा शनिवार

को 1.00 अपराह्न के पश्चात् किए गए निरीक्षणों के लिए शुल्क के अतिरिक्त अतिकाल शुल्क निम्नलिखित प्रकार से संदेय होगा ।

(क) जब मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने निरीक्षण के लिए किसी आवेदन को पूरे तीन दिन से कम की सूचना पर स्वीकार कर लिया है और किसी निरीक्षक से, सप्ताह दिनों में शनिवार को 8.00 बजे पूर्वाह्न से पूर्व और 5.00 बजे अपराह्न तथा शनिवार को 1.00 बजे अपराह्न के पश्चात्, जलयान का निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है वहां 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क संदेह होगा ।

(ख) यदि तीन दिन की सूचना दे दी गई है किन्तु निरीक्षक सप्ताह दिवसों में 8.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे अपराह्न के बीच और शनिवार को 8.00 बजे पूर्वाह्न और 1.00 बजे अपराह्न के बीच निरीक्षण पूरा नहीं कर पाया है तो कोई अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य नहीं होगा ।

(ग) जहां किसी निरीक्षक को, स्वामी या अभिकर्ता के अनुरोध पर सप्ताह दिवसों को 5.00 बजे अपराह्न और शनिवार को 1.00 बजे अपराह्न के पश्चात् किसी ऐसे निरीक्षण को जो सप्ताह दिवसों में 8.00 बजे पुर्वाह्न और 1.00 बजे अपराह्न के बीच आरंभ किए गए निरीक्षण को, पूरा करने के लिए रोका जाता है, वहां क्रमशः 30 रु० का यदि निरीक्षक कार्य से 6.00 बजे अपराह्न और 2.00 बजे अपराह्न से पूर्व नियुक्त कर दिया जाता है और 50 रु० का, यदि उसे 6.00 बजे अपराह्न और 2.00 बजे अपराह्न के पश्चात् रोका जाता है अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा ।

(घ) जहां किसी निरीक्षक को खंड (क) के अधीन बुलाया जाता है या खंड (ग) के अधीन रोका जाता है वहां जलयान का स्वामी या अभिकर्ता जिसमें उन घंटों का कथन होगा । जिनके दौरान निरीक्षक उपस्थित रहा था । इस तथ्य की लिखित सूचना मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को देगा ।

35. निरीक्षण के लिए आवेदन पर केवल उन जलयानों की बाबत विचार किया जाएगा जो वाणिज्य समुद्री बेड़ा विभाग भारत सरकार के पास पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है ।

36. किसी अनुज्ञाप्राप्त जलयान का स्वामी अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित के जिम्मेदार होगा ।

(क) जलयान में इन नियमों के अधीन विहित कर्मदल की संख्या की व्यवस्था करना जिसके अंतर्गत कोई अनुभव प्राप्त टिंडल है;

(ख) जलयान को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना;

(ग) कार्यालय संख्या को दोनों और विहित रीति में स्पष्टतः चिह्नित रखना;

(घ) जलयान पर हर समय निरीक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति रखना;

(ङ) जलयान पर पंपों, प्रकाश, भूमि टेकिल और फिटिंगों को अच्छी चालू हालत में, बनाए रखना;

(च) जलयान की भार रेखा को स्पष्टत. चिह्नित रखना;

(छ) यदि स्थोरा को ले जाने वाला हो तो लदान न करना ताकि भार जल रेखा को उपदर्शित करते हुए चिह्न को जल निम्न करना;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि जलयान व्यक्तियों की उस संख्या से अधिक संख्या नहीं ले जाता जिसके लिए वह अनुज्ञप्ति प्राप्त है, और कि जलयान पर जीवन रक्षा उपकरण की विहित संख्या की व्यवस्था है;

(झ) डेक पर खुले में खाना बनाने से रोकना; और

(ञ) विस्फोटक पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादकों आदि के वहन को शासित करने वाले विनियमों का अनुपालन करना, जब कभी जलयान विस्फोटक पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादकों आदि के वहन के लिए लगाया जाता है ।

37. निरीक्षक अंतिम सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात् उपाबंध 'ड' में दिए गए रूपविधान के अनुसार ज्ञापन पुस्तिका भरेगा ।

प्ररूप एस० 1

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
मुम्बई पत्तन न्यास,
निर्माण भवन, मजगांव,
मुम्बई–400010

किसी जलयान के निरीक्षण के लिए आवेदन

स्वामी का नाम और पता .....
जलयान का नाम .....
जलयान का वर्णन .....
रजिस्ट्री का पत्तन ..... शासकीय सं० .....
कब और कहां निर्मित हुआ .....
रजिस्ट्रीकृत टन भार .....
सामग्री .....
बिमाएं ..... एल०वी०डी० .....
निरीक्षण की प्रकृति .....
निरीक्षक के आने की प्रस्थापित तारीख और समय .....
स्थान जहां खड़ा होगा .....

मैं ऊपर नामित जलयान के कथित समय और स्थान पर निरीक्षण करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए आपसे आवेदन करता हूं ।

..... रु० का आवश्यक शुल्क इसके साथ भेजा जा रहा है ।

तारीख .....

स्वामी या टिंडल .....

टिप्पण : सभी मामलों में पूरे तीन दिन की जानी चाहिए ।

प्ररूप एस० 2

निरीक्षण प्रमाण-पत्र

भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6(1) (ट) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया ।

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
मुम्बई पत्तन न्यास,
निर्माण भवन, मजगांव,
मुम्बई 400010

तारीख .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित जलयान की उसकी समुद्रयात्रा योग्यता आदि के संबंध में भारत के राजपत्र भाग.: खंड.: उपखंड.. तारीख.. में प्रकाशित, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० ..... तारीख .....में अंतर्विष्ट नियमों द्वारा अपेक्षित, परीक्षा कर ली गई है, और वह वाणिज्य की लदान और नौवहन तथा वास्तविक मजदूरों की, समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए मुम्बई पत्तन की सीमाओं के भीतर ले जाने के लिए योग्य पाया गया है ।

जलयान का नाम .....
शासकीय सं० .....
टिंडल का नाम .....
रजिस्ट्रीकृत टन भार .....
स्वामी का नाम और पता .....
कर्मीदल में .....टिंडल और .....सदस्य है
निश्चल भार की लगभग मात्रा .....प्रति व्यक्ति
( ) वर्ग सें० मी० पर मजदूरों की सं० ....

अच्छा मौसम

शीर्षांतर

खराब मौसम

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
मुम्बई पत्तन न्यास

जलयानों के निरीक्षण, सर्वेक्षण और विनियमन के लिए नियमों के नियम 12,19(1) और 36

12. जब कभी मुख्य यांत्रिक इंजीनियर या निरीक्षक की राय में ऐसा जलयान, स्योरा या मजदूरों के वाहन के अयोग्य है या जब किसी निरीक्षण प्रमाण-पत्र की शर्तों या पत्तन नियमों का स्वामी या उसके अभिकर्ता या जलयान के टिंडल द्वारा उल्लंघन किया गया है तो किसी जलयान के लिए दिए गए प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा ।

(19) 1 किसी ऐसी दुर्घटना की दशा में जिसमें कोई ऐसा तात्विक नुकसान हुआ है जिसमें जलयान की समुद्र यात्रा, योग्यता या दक्षता पर प्रभाव पड़ा है, उस भाव की एक रिपोर्ट जलयान के स्वामी, अभिकर्ता या भारसाधक टिंडल द्वारा मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को यथा संभव शीघ्र जलयान के पुनः निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्ररूप एस० 1 में एक आवेदन सहित भेजी जाएगी ।

36. किसी अनुज्ञाप्राप्त जलयान का स्वामी, अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :—

(क) जलयान में, इन नियमों के अधीन विहित कर्मीदल की संख्या की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत कोई अनुभव प्राप्त टिंडल;

(ख) जलयान को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना;

(ग) कार्यालय संख्या को दोनों ओर विहित रीति में स्पष्टतः चिह्नित रखना;

(घ) जलयान पर हर समय निरीक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति रखना;

(ङ) जलयान पर पंपों, प्रकाश भूमि, टेकिल और फिटिंगों को अच्छी चालू हालत में बनाए रखना;

(च) जलयान की भार रेखा को स्पष्टतः चिह्नित रखना;

(छ) यदि स्थोरा को ले जाने वाला हो तो लदान न करना ताकि भारजल रेखा को उपदर्शित करने हुए चिह्न को जल निम्न करना,

(ज) यह सुनिश्चित करना कि जलयान व्यक्तियों की उस संख्या से अधिक संख्या नहीं ले जाता जिसके लिए यह अनुज्ञप्ति प्राप्त है, और कि जलयान पर जीवन रक्षा उपकरण की विहित संख्या की व्यवस्था है;

(झ) डेक पर खुले में खाना बनाने से रोकना; और

(ण) विस्फोटक पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादों आदि को वहन के शासित करने वाले विनियमों का अनुपालन करना, जब कभी जलयान विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पादों आदि के वहन के लिए लगाया जाता है ।

टिप्पणी—ऊपर वर्णित सरकारी अधिसूचना में प्रकाशित किन्हीं नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया कोई व्यक्ति भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 54 के अधीन किसी शास्ति का दायी होगा जो एक सौ रुपये से अधिक की नहीं होगी ।

प्ररूप एस-3

मुख्य यांत्रिक इंजीनीयर विभाग

मुम्बई 1983

सं० 1 सं०

संदर्भ .....का .....
.....से .....की राशि/का
चैक ..... के संबंध में प्राप्त किया
रु० .....

जलयान निरीक्षक
मुम्बई पत्तन न्यास

टिप्पण 1. कोई रसीद जिस पर, विभाग के प्रधान या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, विधिमान्य नहीं होगी ।

2. जब संदाय के लिए कोई चेक दिया जाता है तब यह दस्तावेज संदाय की किसी रसीद के लिए तब तक प्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि चेक का भुगतान नहीं हो जाता है ।

3. चैक सदैव क्रास किए जाने चाहिए ।

उपाबंध 'क'

जलयान के लिए न्यूनतम कर्मीदल की अपेक्षाएं इस्पात नौकाओं, लकड़ी नौकाओं और जलयानों के लिए

	खलासी	टिंडल
150 टन तक	4	1
151 से 250 टन	5	1
251 से 400 टन	6	1
401 से 550 टन	7	1
551 से 700 टन	8	1
लकड़ी पाड़ुवों के लिए		
150 टन तक	5	1
50 से अधिक और 100 टन तक	6	1
100 से अधिक और 150 टन तक	7	1

कर्मीदल की न्यूनतम अर्हताएं

टिंडल :

(1) खलासी के रूप में 7 वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा होनी चाहिए ।

(2) ज्वार सारणी को पढ़ने के योग्य होना चाहिए ।

(3) जलयान को स्वतंत्रता से युक्तिपूर्ण ढंग से चलाने के योग्य होना चाहिए ।

(4) जलयान को यात्रा योग्य दशा में बनाए रखने के योग्य होना चाहिए ।

(5) कोई विशिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए जैसे :—

(i) नौकर्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली रस्सियों को पहचानना;

(ii) ज्वार सारणी से जल की ऊंचाई बताना;

(iii) कोई अन्य उपयुक्त परीक्षा ।

(6) उपयुक्त (1) से (5) की पुष्टि करते हुए उप-संरक्षक, मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र होना चाहिए जिसके लिए उसे सीधे आवेदन करना चाहिए ।

खलासी :

(1) तैरना आना चाहिए;

(2) नौका को चलाना आना चाहिए;

(3) विभिन्न प्रकार की गांठ लगाना आना चाहिए;

(4) भारयुक्त रस्सी को फेंकने के योग्य होना चाहिए;

(5) जलयान के नौकर्षण रस्से को पकड़ने और नौकर्षण कुंडे को हथालने के योग्य होना चाहिए ।

उपाबंध-ख

ज्ञापन पुस्तिका

जलयान का नाम .....

रजिस्ट्रीकरण सं० .....

अंतिम सर्वेक्षण की तारीख .....

शीर्षांतर मी० मी०
..... के सर्वेक्षण का ज्ञापन

लकड़ी, लोहे या इस्पात ... .

वर्णन .....

जलयान का नाम .....

* * *

रजिस्ट्रीकृत स्वामी और उनके पते

.....

.....

* * *

पेंदी का सूखे में निरीक्षण किया गया

बाह्य रूप से .....को .....

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर .....

आंतरिक रूप से .....को
खोल के विस्तार का प्लान विभिन्न मापों को उपदर्शित करते हुए और अपेक्षित मरम्मत इसके साथ संलग्न है ।

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर .....

टिप्पण : यदि हल प्लेट पर 30 प्रतिशत या इसके ऊपर घिसाई पाई जाए तो उसे बदलना चाहिए । बिरली दशा में ही डब्बलर्स को अधिकतम एक वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

अंतिम प्रमाण पत्र की सं०.....

तारीख.....

शासकीय सं०.....

रजिस्ट्री का पत्तन.....

रजिस्ट्री की तारीख.....

.....में.....वर्ष में

.....द्वारा निर्मित किया गया।

लम्बाई.....मीटर

चौड़ाई.....मीटर

गहराई.....मीटर

$$\frac{\text{ल० × चौ० × ग० × गुणन खंड}}{1.025}$$

निम्बल भार की लगभग मात्रा.....टन

(6).....लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतराल

(7).....1/3 साधारण अंतराल

$$\frac{1}{\times 4 = \\ \times 2 = \\ \times 4 = \\ \times 2 = \\ \times 4 = \\ \times 1 =}$$

———— व्यक्ति

शीर्षांतर अच्छा मौसम.....

खराब मौसम.....

टिंडल का नाम.....

नाविक का नाम.....

टिप्पणियां

रजिस्ट्रीकृत टन भार.....

रजिस्ट्रीकृत विमाएं.....

अत्यधिक	ल०	मी०
	ल०	मी०
	चौ०	मी०
	ग०	मी०

26. कार्यकरण स्थोरा के लिए मजदूरों को ले जाते समय यान निम्नप्रकार से अनुज्ञात किया जाएगा :—

15 टन रजिस्टर तक या वाले जलयानों में प्रति व्यक्ति 0.4 वर्ग मी०

15 टन से ऊपर और 30 टन रजिस्टर तक जलयानों में प्रति व्यक्ति 0.3 वर्ग मी०

30 टन रजिस्टर से ऊपर वाले सभी जलयानों में प्रति व्यक्ति 0.25 वर्ग मी०

डेक वाले जलयानों की दशा में केवल डेक का क्षेत्र ही मजदूरों की ले जाने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

22. लंबाई = मीटरों में लंबाई

चौड़ाई = मीटरों में चौड़ाई

अन्तर = जलयान के लाइट ड्राफ्ट चिह्न और शीर्षांतर चिह्न के बीच मीटरों में अंतर जैसा नियम 23 में परिभाषित है ।

गुणनखंड : सभी बजरों और यंत्रनोदित जलयानों (लोहा या लकड़ी) के लिए .8 पाड्डवों के लिए 7

लाइन : चिह्न वह ड्राफ्ट है जिस पर जलयान सामान सहित तैरता है और यंत्र-नोदित जलयानों की दशा में फ्लक पर ईंधन और जल सहित किन्तु किसी भी वर्णन के स्थोरा के बिना ।

24. निम्नलिखित गुणांक जब बजरा को मोल्ड की गई गहराई को लागू किया जाएगा तो शीर्षांतर निकल जाएगा : पांडब मोल्ड की गई गहराई के प्रत्येक मीटर के लिए किनारे का 300 मि०मी० लकड़ी के बजरा मोल्ड की गई गहराई के प्रत्येक मीटर के लिए किनारे का 215 मि०मी० इस्पात बजरा मोल्ड की गई गहराई के प्रत्येक मीटर के लिए किनारे के 250 मि०मी०

नौपरिवहन प्रकाश

	लाल या पत्तन बत्ती	हरी या स्टार बोर्ड बत्ती	मास्टर लंगर हैड बत्ती	बत्ती
निर्माता				
लालटेन की संख्या				
लालटेन का आकार				
लालटेन की स्थिति				
लैन्स की स्थिति				
बर्नर की स्थिति				
रिफलेक्टर की स्थिति				
तेल या पैराफीन				

क्या लंगर प्रकाश सुरक्षित किया जाता है ?.....

क्या स्थिर प्रकाश इस प्रकार लगाये गए हैं कि वे विनियमों का पालन करते हैं ?

तैरने वाला बोया

बोया का आकार

बोया की रस्सियों का प्रकार और आकार

लंगर और उसके संलग्नक

लंगर का भार

लंगर केबल/तार रस्सी का आकार

लंगर उठाने का ढंग

[फा० सं० पी० डब्ल्यू/पी० जी० एल०-7/80]

पी० वी० वेंकटकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1983

G.S.R. 623(E).—The following draft of rules for inspecting, surveying and regulating vessels which are not self-propelling, plying within the limits of the Port of Bombay which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (eee) and (k) of sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of the rules published with the notification of the Government of India, in the Ministry of Transport No. S.R.O. 273, dated 18th January, 1955, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, page 243, dated 29th January, 1955 is hereby published as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

"DRAFT RULES"

RULES FOR INSPECTING SURVEYING AND REGULATING VESSELS WHICH ARE NOT SELF-PROPELLING PLYING WITHIN THE LIMITS OF THE PORT OF BOMBAY.

1. In these Rules, unless the context otherwise requires, "vessel" means a vessel, not being a vessel fitted with mechanical means of propulsion, employed in carriage of passengers or cargo or both within the limits of the Port of Bombay.

1A. No vessel which is not self-propelling shall ply within the limits of the Port of Bombay, whether ordinarily or casually, for :

(a) the landing and shipping of merchandise; or

(b) carrying bonafide mazdoors to and fro for cargo work on board vessels; or

(c) carrying on any other commercial activities. without an Inspection Certificate for the time being in force under these rules or other similar rules framed under section 6(1)(k) of the Indian Ports Act, 1908, and in force at any other Port in India.

2. All correspondence relating to inspection of vessels should be addressed as follows :

The Chief Mechanical Engineer,
Bombay Port Trust, Nirman Bhavan,
Mazagaon, Bombay-400010.

3. Every application for an Inspection Certificate under these rules shall be made in Form S-I annexed to these rules, accompanied by the inspection fee chargeable, namely :—

		Not engaged in carriage of hazardous/non-hazardous cargo to and from coasting and foreign-going vessels in Bombay harbour.	Engaged in carriage of hazardous/non-hazardous cargo to and from coasting and foreign-going vessesl in Bombay harbour
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Class I	Padavs and other similar sailing vessels which ordinarily proceed under own sail—		
	Not exceeding 50 tonnes register	40	120
	For every additional 25 tonnes register or fraction of 25 tonnes register	20	40
Class II	Wood and composite barges (Explanation—Composite barges are barges with wooden hull whose bulkheads, deck and other members may be partly or		

1	2	3	4
	wholly of wooden or steel)—		
	Not exceeding 50 tonnes register	60	180
	For every additional 50 tonnes register or fraction of 50 tonnes	40	120
Class III	Steel barges, pontoons and other similar vessels		
	Not exceeding 100 tonnes register	100	300
	For every additional 50 tonnes or fraction of 50 tonnes.	40	120

Additional and overtime fees specified in rules 33, 34 and 35 shall be payable as provided by the said rules.

Official receipt in Form S. 3 will be issued for all payments received by the Chief Mechanical Engineer, Bombay Port Trust (hereinafter referred to as the "Chief Mechanical Engineer").

4. (1) Every Inspection Certificate granted under these rules shall continue in force for one year from the date of the completion of the inspection of the vessel in dry dock or on the hard, unless it shall have been revoked earlier under the provisions of these rules.

(2) An Inspection Certificate may be extended, on an application made in Form S. 1 in this behalf which shall be accompanied by half of the fee referred to in rule 3 for a period not exceeding one month, if the condition of the vessel's hull and equipment is found to be in order. For every such inspection, the fee will be charges as provided in rule 32.

(3) If the original certificate is lost during the period of its currency, a duplicate copy thereof shall be granted to the holder of the original certificate on payment of a fee of Rs. 10 and such duplicate shall thereupon be valid as an Inspection Certificate under these rules for the remainder of such period.

5. No Inspection Certificate shall be granted in respect of any vessel until such vessel has been inspected by the Inspector at the Port of Bombay appointed by the Chairman of the Board of Trustees of the Port of Bombay. Inspection of vessels employed or carrying petroleum products, chemicals and other similar products will be undertaken by the Port Trust Inspectors only if the owners/agents obtain and produce a certificate from the Controller of Explosives, Government of India to the effect that the vessel is safe for entering the dry dock. Repairs, if any, to be carried out, shall be commenced only after the hot work certificate is obtained by the owners/agents from the Controller of Explosives, Government of India.

6. The Inspectors so appointed shall—

(a) inspect the vessel as to her seaworthiness

(b) Inspect her equipment navigational lights and screens;

(c) determine the approximate deadweight quantity of cargo and the number of mazdoors to be carried;

(d) mark the load line disc for the fair and foul seasons on all cargo vessels; and

(e) determine the number of crew required in accordance with Annexure 'A'.

7. If an Inspector finds that any defect exists in the hull or equipment of a vessel, he shall, before refusing to grant an Inspection Certificate regarding such vessel, address a letter to the owner of the vessel pointing out such defect and also pointing out the repairs or other action which is necessary for remedying the defect.

8. After the completion of repairs, the owner shall submit the shell expansion plan indicating the test holes drilled (in respect of steel barges) and the details of requisite repairs carried out or other action taken. The Inspector, with the approval of the Chief Mechanical Engineer, may pay one or more extra visits to the vessel and issue or refuse an Inspection Certificate as he shall deem proper.

9. Having determined the approximate dead weight quantity of cargo and the number of mazdoors to be carried by a vessel, as also the free board for the fair and foul seasons, the Inspector shall indicate the position where the load line discs are to be marked on both sides of the vessel. The discs shall be as shown in the diagram shown below. The upper edge of the line passing through the centre of the disc will mark the maximum depth to which the vessel can be loaded in fair weather and the upper edge of the lower line will mark the maximum depth to which the vessel can be loaded in foul weather. Details of load line marks are given in the diagram below :—

10. Before an Inspection Certificate is granted, the vessel shall have the official number of dimensions 200 mm. x 150 mm. long carved/welded and painted

on each of the quarters in white on a black back ground or black on a white background.

11. The owner or his agent or the tindal of any licensed vessel shall not permit the quantity of cargo to be carried in such vessel at any time in excess of the quantity or number permissible under these rules and he shall also not permit such vessel to ply unless provided with the adequate number of crew stated in the certificate for fair and foul weather.

12. The certificate granted for any vessel may be revoked whenever such vessel is, in the opinion of the Chief Mechanical Engineer or the Inspector, unfit for the conveyance of cargo or mazdoors or when any breach of the conditions of the Inspection Certificate or Port Rules has been committed by the owner or his agent or the tindal of the vessel.

13. Every licensed vessel when plying shall have a copy of her registration certificate and Inspection Certificate in original on board and such certificate shall be produced whenever required by the Port authorities.

14. Every licensed vessel when plying shall have on board, firmly attached to the structure of here hull by a coir line not less than fifteen fathoms in length wreck buoy painted with the official number and Port of Registry so placed that in case the vessel should sink the buoy will float clear and mark her position.

15. Every vessel shall carry life buoys with the official number of the vessel and the name of the Port of Registry painted on them. One life buoy should be provided for every two persons on board.

16. Every vessel shall be provided with one brass bell of at least 150 mm. in diameter.

17. Every vessel shall be provided with such number of hand bilge pumps as may be decided by the Inspector.

18. No opening leading to holds, buoyancy tanks, or fore and at peaks shall be permitted on the ship-side or on the watertight bulkheads.

19. (i) In case of any accident occasioning any material damage affecting the seaworthiness or efficiency of the vessel, a report to that effect shall be made to the Chief Mechanical Engineer in writing by the owner, agent or the tindal in charge of the vessel, alongwith an application in Form S.1 as soon as possible for the purpose of re-inspecting the vessel.

(ii) Fees for such works shall be payable as provided in rule 32.

(iii) Depending upon the inspection report, the Chief Mechanical Engineer may either allow the vessel to ply for the whole or part of the remaining period of the validity of the Inspection Certificate or order the vessel to lay up for a complete inspection. If the vessel is allowed to ply after such inspection, an endorsement to that effect shall be made on the Inspection Certificate.

20. The Inspection Certificate shall be in Form S.2 appended to these rules and be renewable annually on expiry.

21. For the purpose of these rules, the following periods will indicate the fair and foul seasons:

1st December to 20th May (inclusive) and 16th September to 15th October (inclusive)	Fair Season
21st May to 15th September (inclusive) and 16th October to 30th November (inclusive)	Foul Season

22. The deadweight carrying capacity of vessel in metric tonne shall be measured as follows:

$$\frac{L \times B \times D}{1.025} \times \text{Factor}$$

L = Length in metres

B = Breadth in metres

D = Difference between vessel's light draft mark and free board mark, in metres.

Factor as defined in rule 23.

23. The factor for barges shall be 0.8 and for padavs 0.7 or such other factor, as the Inspector may decide.

24. The following multipliers when applied to a vessel's moulded depth will give the free board:—

Padavs	300 mm of the side for each metre of moulded depth.	
Wooden vessels	215 mm	-do-
Steel Vessels	250 mm	-do-

Nothing herein contained shall limit the discretion of the Inspector to apply such multiplier as he may think necessary.

25. All vessels must present 75 mm more of clear side during the foul seasons than that allowed by the centre line disc for the fair seasons.

26. The space allowance when carrying mazdoors for working cargo shall be as follows:—

In vessels upto and including of 15 tonnes register 0.4 sq. metres per person;

In vessels above 15 and upto 30 tonnes register inclusive, 0.3 sq. metres per person;

In all vessels above 30 tonnes register, 0.25 sq. metres per person.

In the matter of decked vessels, only the deck area shall be taken into account for carrying mazdoors.

27. The Inspector shall in special cases have discretionary power in actually fixing the position of the load line disc, provided that the free-board allowed shall not be less than that arrived at by the rules and that the owner shall have the right of appeal to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Government of India.

28. Vessels built under the supervision of the Government Surveyor and with scantling in accordance with rules of recognised classification societies may, should the owner desire it, have their free-board determined as though these vessels were sea-going vessels.

"Explanation:—for the purpose of this rule.—
"Government Surveyor" means the surveyor referred to in Section 9 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)"

29. Every application for inspection shall be made between the hours of 10.30 a.m. and 5.00 p.m. on week days and 10.30 a.m. and 1.00 p.m. on Saturdays (holidays excepted) in Form S.1 annexed to these rules, and shall be lodged at the Chief Mechanical Engineer's Office, together with fees payable under rule 3 or rule 4 above, at least three clear days before the day on which it is desired that the inspection shall take place; provided that the Chief Mechanical Engineer may, in any particular case, admit an application at his office less than three clear days before the day on which it is desired that the inspection shall take place.

30. Upon receipt of an application, the place, date and time at which the inspection shall be commenced will be fixed by the Inspector.

31. The Fee payable under rule 3 or rule 4, shall cover any number of visits the Inspector may require to make before granting the certificate.

32. If further inspection is necessary while an Inspection Certificate is in force, a fee equivalent to half the normal fee shall be payable.

33. In addition to the fees under rule 3 and rule 4 there shall be payable, at the time of application to the Chief Mechanical Engineer, a further fee of Rs. 50 to be charged in respect of every inspection to be made at any time on any Sunday or works holidays.

34. In addition to the fees chargeable under rule 3 or rule 4, overtime fees, in respect of inspections wholly or partially carried out between the hours of 5-00 p.m. and 8-00 a.m. on week days and after 1-00 p.m. on Saturdays, shall be payable as follows :

(a) When the Chief Mechanical Engineer has admitted an application for inspection on less than three clear days' notice and an inspector is called upon to undertake the inspection of a vessel before 8 a.m. on week days and Saturdays or after 5 p.m. on week days and 1-00 p.m. on Saturdays, an additional fee of Rs. 50 shall be payable.

(b) If three days' notice has been given but the Inspector has not been able to complete the inspection between the hours 8-00 a.m. and 5-00 p.m. on week days and between 8-00 a.m. and 1-00 p.m. on Saturdays, no additional fee will be chargeable.

(c) Where an Inspector is detained at the request of the owner or agent after 5-00 p.m. on week days and after 1-00 p.m. on Saturdays to complete an inspection undertaken between the hours of 8-00 a.m. and 5-00 p.m. on week days and 8-00 a.m. and 1-00 p.m. on Saturdays, an additional fee of Rs. 30, if the Inspector is released from duty before 6-00 p.m. and 2-00 p.m. respectively, and of Rs. 50, if he is detained later than 6-00 p.m. and 2-00 p.m. respectively, shall be payable.

(d) Where an Inspector has been called under clause (a) or detained under clause (c), the vessel owner or agent shall give the information of the fact in writing to the Chief Mechanical Engineer stating the hours during which the Inspector was in attendance.

35. Application for inspection will be entertained only in respect of vessels which have previously been duly registered with the Mercantile Marine Department of the Government of India.

36. The owner, agent or the person in charge of a licensed vessel shall be responsible :

(a) for providing the vessel with the number of crew prescribed under these rules, including an experienced tindal;

(b) for keeping the vessel clean and tidy;

(c) for keeping the official number clearly marked on both sides in the manner prescribed;

(d) for carrying the Inspection Certificate and a copy of the Registration Certificate on the vessel at all times;

(e) for maintaining in good working order pumps, lights, ground tackle and fittings on the vessel;

(f) for keeping the load line of the vessel clearly marked;

(g) if carrying cargo, for not loading it so as to submerge the mark indicating load water line;

(h) for ensuring that the vessel does not carry persons in excess of the number for which it is licenced and that the prescribed number of life saving appliances are provided on the vessel;

(i) for preventing cooking of food on the deck in the open: and

(j) for complying with the regulations governing carriage of explosives, petroleum products, etc., whenever the vessel is employed for carrying explosives, petroleum products, etc.

37. The Inspector after the completion of final survey shall fill up the memo book as per the format given in Annexure 'B'.

FORM S.I.

The Chief Mechanical Engineer,
Bombay Port Trust, Nirman Bhavan, Mazagaon,
Bombay-400 010.

APPLICATION FOR THE INSPECTION OF A VESSEL

Name and address of owner.....

Name of vessel.....

Description of vessel.....

.....

Port of Registry.....Official No.....

When and where built.....

Registered Tonnage.....

Materials .....

Dimensions..... L.B.O .....

Nature of Inspection.....

Date and time of proposed visit of Inspector.....

.....

Place where vessel will be lying.....

I hereby apply to you to make the necessary arrangements for the inspection of the abovenamed vessel at the time and place stated.

The necessary fee of Rs.....is sent herewith.

Dated this.....day of.....19

Owner or Tindal.....

N.B. Three clear days' notice should be given in all cases.

FORM S.2

CERTIFICATE OF INSPECTION

Issued under the rules made under section 6(1)(k) of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).

The Chief Mechanical Engineer,
Bombay Port Trust,
Nirman Bhawan, Mazagaon,
BOMBAY-400 010.

Date .....

THIS IS TO CERTIFY that the undermentioned vessel.....has been examined as to her seaworthiness, etc., as required by the rules contained in the Ministry of Shipping and Transport (Transports Wing), Notification No.....dated..... and published in the Gazette of India, part..... Section.....Sub-section..... dated..... as and found to be fit to ply as a vessel for the landing and shipping of merchandise and for carrying bonafide mazdoors within the limits of the Port of Bombay for the period of one year ending.

Name of the vessel.....
Official No.....
Name of tindal.....
Register tonnage.....
Name and address of owner.....
.....

Crew to consist of.....Tindal and.....
Approximate quantity of dead weight.....
No. of mazdoors at.....square cm. per person ( )

Free-board { (Fair weather..... (Foul weather.....

INSPECTOR

CHIEF MECHANICAL ENGINEER
BOMBAY PORT TRUST

RULES 12, 19(i) AND 36 OF THE RULES FOR INSPECTION, SURVEYING AND REGULATING VESSELS.

12. The certificate granted for any vessel may be revoked whenever such vessel is, in the opinion of the Chief Mechanical Engineer or the Inspector, unfit for the conveyance of cargo or mazdoors, or when any breach of the Conditions of the Inspection Certificate or Port Rules has been committed by the owner or his Agent or the Tindal of the vessel.

19 (i) In case of any accident occasioning any material damage affecting the seaworthiness or efficiency of the vessel, a report to that effect shall be made to the Chief Mechanical Engineer in writing by the owner, agent or the tindal in charge of the vessel, alongwith an application in Form S. 1 as soon as possible for the purpose of inspecting the vessel.

36. The owner, agent or the person-in-charge of a licenced vessel shall be responsible :—

(a) for providing the vessel with the number of crew prescribed under these rules, including an experienced Tindal;

(b) for keeping the vessel clean and tidy;

(c) for keeping the official number of clearly marked on both sides in the manner prescribed;

(d) for carrying the Inspection Certificate and a copy of the Registration Certificate on the vessel at all times;

(e) for maintaining in good working order pumps, lights, ground tackle and fittings on the vessel;

(f) for keeping the load line of the vessel clearly marked;

(g) if carrying cargo, for not loading it so as to submerge the mark indicating load water line;

(h) for ensuring that the vessel does not carry persons in excess of the number for which it is licenced and that the prescribed number of life saving appliances are provided on the vessel;

(i) for preventing cooking of food on the decks in the open; and

(j) for complying with the regulations governing carriage of explosives, petrolcum products, etc., whenever the vessel is employed for carrying explosives, petroleum products etc.

Note : Any person convicted of having committed a breach of any of the rules published in the Government Notification cited above is liable to a penalty not exceeding Rupees One Hundred under section 54 of the Indian Ports Act, 1908 (XV of 1908).

FORM S.3

CHIEF MECHANICAL ENGINEERS DEPARTMENT

Bombay.....198

No...../No.

Ref : .....of.....

Received from .....
the sum of

Rupees.....

a cheque for

on account of.....
.....
.....

Rs.....

INSPECTOR OF VESSELS
BOMBAY PORT TRUST

N.B. : (1) No receipt which does not bear the signature of the Head of Department or person duly authorised to sign on his behalfwill be valid.

(2) When a cheque has been given in payment, this document will not operate as a receipt for the payment, until the cheque has been realised.

(3) Cheques should invariably be crossed.

ANNEXURE 'A'

MINIMUM CREW REQUIREMENTS FOR VESSELS

For Steel Barges, Wooden Barges & vessels

	Khalasi	Tindal
Upto 150 Tonnes	4	1
151 to 250 Tonnes	5	1
251 to 400 Tonnes	6	1
401 to 550 Tonnes	7	1
551 to 700 Tonnes	8	1

For Wooden Padavs

Upto 50 Tonnes	5	1
Above 50 upto 100 Tonnes	6	1
Above 100 upto 150 Tonnes	7	1

Minimum Qualifications of the Crew

Tindal—

(1) Must have approved service of not less than seven years as a Khalasi.

(2) Must be able to read Tide Table.

(3) Must be able to manoeuvre vessel independently.

(4) Must be able to keep the vessel in a seaworthy condition.

(5) Must pass a practical test, viz;

(i) to identify of ropes used for towing

(ii) to state the height of the water from the Tide Table

(iii) any other suitable test.

(6) Must possess a certificate issued by the Deputy Conservator, Bombay Port Trust, confirming

(1) to (5) above, for which he should apply direct.

Khalasi :

(1) Must know swimming.

(2) Must know to row a boat.

(3) Must know to make different types of knots.

(4) Must to able to throw a heaving line.

(5) Must be able to take towing rope and be able to handle towing hook on a vessel.

ANNEXURE 'B'

MEMO BOOK

Vessel's Name.....

Registration No.....

Date of last survey.....

Free board mm

Memo of Survey of the

Wood, Iron or Steel..... .....

Description..... .....

Vessel's Name.....

....

Registered owners and their address.

The bottom was inspected on the hard

Externally on Surveyor's initials.

Internally on

The shell expansion plan indicating the various scantlings and the requisite repairs attached herewith Surveyor's initials.

Note :—The hull plates must be renewed if the wear on the plate is found to be 30% and above. Doublers may be permitted maximum for a year only in extreme cases.

No. of last certificate.....

Date.....

Official number.....

Port of Registry.....

Date of Registry.....

Built at in the year.....

by.....

Length Metres

Breadth

Depth

$$\frac{L \times B \times D}{1.025} \times \text{factor}$$

Approximate quantity of dead weight.....tonnes.

(6).....Length

Interval bet. breadth

(3).....1/3 common interval

1

x4 =

x2 =

x4 =

x2 =

x4 =

1 =

Persons.

Freeboard { (Fine weather..... (Foul weather.....

Name of Tindal.....

Name of Seaman.....

REMARKS

Registered tonnage.....

Registered Dimensions.....

Extreme L. M

L. M

B. M

D. M

The space allowance when carrying mazdoors for working cargo shall be as follows :

In vessels upto and inclusive of 15 tonnes register, 0.4 Sq. metres per person.

In vessels above 15 and upto 30 tonnes register inclusive, 0.3 Sq. metres per person.

In all vessels above 30 tonnes, 0.25 sq. metres per person.

In the matter of decked vessels, only the deck area shall be taken into account for carrying mazdoors.

L—Length in metres

B—Breadth in metres

D—Difference between vessel's light draft mark and freeboard marks, in metres

Factors : —8. all barges and mechanically propelled vessels (iron or wood).

7. for Padavs

Light mark is draft at which vessel floats with stores, and in case of mechanically propelled vessels, fuel and water on board, but no cargo of any description.

The following are the multipliers which applied to a boat's moulded depth give the free-board :—

Padvas	300 mm of the side for each meter of moulded depth
Wooden Barges	215 mm of the side for each meter of moulded depth
Steel Barges	250 mm of the side for each meter of moulded depth

NAVIGATIONAL LIGHTS

	Red or Port Lamp	Green or Star-board lamp	Mast-head lamp	Anchor Lamp
Maker				
No. of the Lantern				
Size of Lantern				
Condition of Lantern				
Condition of Lens				
Condition of Burner				
Condition of Reflector				
Oil or Paraffin				

Where is the Anchor Light secured.....

ARE all the lights so fitted as to comply with the Regulations ? .....

WRECK BUOY

Size of Buoy

Type and size of Buoy moorings

ANCHOR & ITS ATTACHMENT

Weight of Anchor

Size of anchor cable/wire rope

Method of heaving up anchor

[No. PW/PGL-7/80]

P.V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983